तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
07.09.21	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। दर्ज रजिस्टर की जावे।	

अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री रामवीर सिंह नरूका उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ की प्रमाणित फर्द अहकाम दिनांक 12.03.2019 से मियाद बाहर पेश की गई।

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 12.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी दिनांक 14.05.19 तक विवादित आ0ख0नं0 हाल 32 वाके ग्राम खेडला तहसील लक्ष्मणगढ में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 32 रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम खेडला तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है, जिस आराजी में वादी रेस्पोडेण्ट 1/6 हिस्सा का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी आराजी के सहखातेदार हैं। रेस्पोडेण्ट वादी द्वारा मातहत अदालत में जाहिर किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण के शामलात खाते की आराजी है, जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण आराजी को कब्जा करना चाहते हैं एवं दीगर लोगों को बेचना चाहते हैं, अतः प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। तहत अदालत द्वारा उसी दिन बिना पक्षकारान की तलबी कराये तथा बिना प्रतिवादी अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका प्रदान किये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर प्रतिवादीगण को पाबंद कर दिया गया। विवादित आराजी में रेस्पोडेण्ट वादी के अलावा अपीलाण्ट प्रतिवादी एवं तरतीबी रेस्पो0 को हित निहित है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 12.03.19 को अपास्त किया जावें।

अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम, अदालत मातहत के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति, राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.03.19 की जानकारी सर्वप्रथम उस समय हुई जब अपीलाण्ट दिनांक 27.08.21 को बैंक में अपनी जमीन पर लोन लेने के लिए गया और कागजात दिखाये। आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 27.08.21 को ही नकल का आवेदन प्रस्तुत करके दिनांक 31.08.21 नकल प्राप्त की। तत्पश्चात वकील साहब से कानूनी मशवरा किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी के अभाव में आदेश दिनांक 12.03.19 से दिनांक 27.08.21 तक का जो समय व्यतीत हुआ, वह नेकनियति व युक्तियुक्त कारण से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलोच्य आदेश बिना अप्रार्थी अपीलाण्ट को तलब किए तथा बिना सुनवाई के पारित किया गया है। इस कारण

गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सही विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्ट अपनी आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी के खातेदार अधिकार का हनन किया गया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है तथा वादी रेस्पोडेण्ट के साथ समान अधिकार रखता है, जिस ओर तहत अदालत ने कतई गौर नहीं फरमाया। इसके अतिरिक्त लगभग ढाई वर्ष उपरान्त भी निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.03.19 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.19 अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। यह सही है कि अपील निर्णय एवं डिक्री के ढाई वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है, परन्तु मातहत अदालत द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अप्रार्थी अपीलाण्ट को तलब नहीं किया गया। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्त परिस्थितियों की माँग है तो धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी ग्राम खेड़ला तहसील लक्ष्मणगढ़ सम्वत् 2073–76 में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सह काश्तकार हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विवादित आराजियात पर कोई 'निर्माण कार्य' न करें। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि अपीलाण्ट या रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा ढाई वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।

चतुर्थ, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

पंचम, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधारपर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 12.03.19 को प्रचलन से स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 07.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।